श्री अनंत गीतेः उपसभाध्यक्ष जी, नीति आयोग द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, उनको हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। जिन सार्वजनिक उद्यमों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिनको बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है, इस प्रकार के जो लोक उद्यम हैं, हम उन्हीं को बन्द करते हैं और जो लोक उद्यम चल सकते हैं, उनको चलाने का प्रयास किया जाता है।

श्री समीर उरांवः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बन्द पड़ा देश का पहला सिंदरी उर्वरक कारखाना था, उसको सरकार ने चालू किया है, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां झारखंड में केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीनस्थ HEC स्थापित है। वहां हजारों लोगों का जीवन HEC पर निर्भर है। आज HEC घाटे में चल रहा है और रुग्णावस्था में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको पुनरुद्धार और पुनर्संरचना के आधार पर आगे व्यवस्थित रूप से चलाना चाहती है।

श्री अनंत गीतेः उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने HEC के बारे में जो जानकारी दी है, वह सत्य है, वास्तविकता है। अब HEC को Atomic Energy Department takeover करना चाहता है। Atomic Energy Department से इस प्रकार का प्रस्ताव आया हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि Atomic Energy Department इसको takeover करता है, तो कम से कम वहां के लोगों के रोजगार निश्चित रूप से बचेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)ः प्रश्न संख्या 171. माननीय सदस्य अनुपस्थित। क्या इसके ऊपर कोई माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? श्री रामकुमार वर्मा।

*171. *[The Questioner was absent]*

Scheme for welfare of Scheduled Castes

*171. SHRI VINAY DINU TENDULKAR: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government has issued any guidelines for proper implementation of its various schemes for the welfare of Scheduled Castes (SCs) and if so, the details thereof;

(b) the details of monitoring mechanism and measures taken to ensure proper/ effective implementation of the schemes by various State Governments;

(c) whether a large number of people belonging to SC category are living below poverty line and do not possess any assets;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by Government for developing a balanced and egalitarian society in the country?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWARCHAND GEHLOT): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) NITI Aayog has issued guidelines for the implementation of various schemes being implemented for the welfare of Scheduled Castes. The details of the important guidelines issued by NITI Aayog are as follows:

1. Percentage of earmarking should not be less than 50% of the population proportion of SCs or as decided by the Task Force, or actuals whichever is higher. Ministry/Department allocating funds for SCs at higher percentages shall maintain existing percentages.

2. All the Ministries/Departments which fall in the category II (identified by the Task Force) *i.e.* earmarking of funds in the range of 0-15% for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) should earmark at least minimum of 8.3% for the welfare of Scheduled Castes schemes (as per 2011 Census).

3. Ministries/Departments which have direct or indirect bearing on the welfare of SCs in the country, but remain outside the purview of Allocation for Welfare of Scheduled Castes (AWSC) should earmark funds to the extent of atleast 50% of population proportion of SCs.

4. Ministries/Departments which are earmarking funds in proportion to the population of SCs as per 2001 Census or closer to that should earmark fund in proportion to population of SCs as per 2011 Census.

5. State-wise distribution of allocation under various Centrally Sponsored Schemes by Central Ministries/Departments, especially under beneficiary oriented schemes should be done in proportion to population for SCs in the respective States/UTs.

6. Monitoring should be both outcome and output based and through dashboard.

(b) The Ministry of Social Justice and Empowerment has developed an online-web portal *(e-utthaan.gov.in)* for the financial, physical and outcome indicators in which all the Central Sector/Centrally Sponsored schemes under the Allocation for Welfare of Scheduled Castes (AWSC) are monitored from the year 2017-18. The financial progress made by the Department/Ministry is linked with Public Financial Management System (PFMS) and for physical progress, the Nodal Officers of the concerned Department/ Ministry have been provided user-ID and password for uploading the information directly in the portal.

(c) and (d) As per the estimates provided by the NITI Aayog, the percentage of SC population below poverty line in rural and urban areas during 2011-12 was 31.5% and 21.7% respectively.

(e) The Government is implementing various socio-economic and educational development programmes to ensure balanced development and create egalitarian society. In order to promote welfare schemes for the empowerment of scheduled caste beneficiaries, the budgetary resources under the AWSC for the year 2017-18 has been fixed at ₹52392.55 crore which is 35% higher as compared to the previous year. During the year 2018-19, the Budget Estimate under the component has been fixed at ₹ 56618.50 crore. The higher allocation under AWSC and its monitoring which includes outcome of the various schemes for the welfare of Scheduled Castes ensures overall development of the target population in the country.

श्री रामकुमार वर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, उसके ऊपर अपना supplementary question पूछने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने SC/ST वर्ग के लिए जो बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनका आजकल direct लाभ मिल रहा है, चाहे वह जन-धन योजना हो, चाहे मुद्रा लोन योजना हो, चाहे उज्जवला योजना हो, चाहे उजाला हो, चाहे Stand-up India हो, चाहे Start-up India हो, इनके माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जनकल्याणकारी कार्य किया है और SC/ST वर्ग के लोगों की गरीबी उन्मूलन के हित में काम किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): आप सीधे प्रश्न पर आएं।

श्री रामकुमार वर्मा: मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह प्रश्न से ही related है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप ST/ST वर्ग की गरीबी का उन्मूलन करें, ताकि उनको स्वरोजगार मिले और उनको सामाजिक-आर्थिक समानता मिले। इसके

लिए पहले एक स्कीम थी कि SC/ST Sub-Plan के संबंध में हमारा जो बजट पास होता है, उसमें बजट का एलोकेशन वहां की पॉपुलेशन के आधार पर किया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): आपका सवाल क्या है? जल्द आप अपने सवाल पर आएं।

श्री रामकुमार वर्मा: मैडम, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। 1974-75 के बाद SC/ST Sub-Plan के तहत जो बजट का एलोकेशन हुआ था, उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिला था, लेकिन पिछले वर्ष, 2017 से, नीति आयोग ने यह किया है कि डा. नरेन्द्र जाधव जी की जो रिपोर्ट्स थीं, जो सिफारिशें थीं, उनको लागू किया गया, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है, SC/ST Sub-Plan का जो पैसा होता था, उसमें डिपार्टमेंट वाइज़ स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एलोकेशन होता था, उसका डायवर्ज़न हुआ है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, यह तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि 2017 से नीति आयोग ने उसको ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): आप अपना प्रश्न पूछिए। अगर आप इतना लम्बा सवाल पूछेंगे, तो मंत्री जी भी लम्बा जवाब देंगे और फिर अन्य सांसदों के प्रश्न छूट जाएंगे। हमें वक्त का ख्याल भी रखना चाहिए।

श्री रामकुमार वर्मा: मैं एक मिनट से भी कम समय लूंगा। मेरा प्रश्न यह है, हालांकि मंत्री महोदय ने सब काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन तत्कालीन सरकार के टाइम में उस पैसे का जो डायवर्जन हुआ, जिससे वह पैसा उस डिपार्टमेंट या targeted group को नहीं मिल करके, दूसरों को मिलता था, उसको रोकने के लिए क्या आपने किसी तरह की मॉनिटरिंग का प्रावधान किया है?

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): आप सवाल पर तो आए, लेकिन बहुत देर से आए। माननीय मंत्री महोदय, कृपया जवाब दें।

श्री विजय सांपला: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि जो SC Sub-Plan का पैसा आबंटित होता है, उसके लिए क्या किया गया है? मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले जिसे SC Sub-Plan के नाम से जाना जाता था, अब 2017-18 से उसको 'Allocation for Welfare of Scheduled Castes' के नाम से जाना जाता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए पहले 26 मंत्रालय थे, अब 29 मंत्रालय हो गए हैं। इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में माना गया। एक Dashboard portal के बीच में इन मंत्रालयों के विभागों के सभी Nodal officers तय कर दिए गए हैं, साथ ही उनको passwords एवं user names वगैरह भी दे दिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी गतिविधि होती है या वे किसी को पैसा जारी करते हैं, तो वे सभी गतिविधियां पोर्टल पर जारी होती रहें और इसके माध्यम से पूरी तरह मॉनिटरिंग हो सके। इससे जो पैसा आबंटित होता है, वह सही दिशा में जाएगा और सही दिशा में उसका इस्तेमाल हो सकेगा। इस तरह पैसा डायवर्ट न हो, इसके लिए उसकी मॉनिटरिंग होती है।

SHRI D. RAJA: Madam, the answer refers to the Task Force. The Task Force was headed by none other than our respected colleague, Dr. Narendra Jadhav and the Task Force was constituted by the previous Government, the UPA Government. That was the time when there was the Planning Commission. We had Special Component Plan and Tribal Sub Plan. Now, the NITI Aayog has come into existence. There is no Sub-Plan as such, or, to say, the concept and understanding of Sub-Plan has undergone a sea-change. In such a situation, the Government announces schemes for welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. I understand how the funds are earmarked by the Ministries and Departments in the Central Government as well as in the State Governments. Who monitors the earmarking of funds and implementation of these Schemes? The Social Justice Ministry says, it has no power. The Tribal Ministry says, it has no power. Who has the power to monitor the earmarking of funds according to the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Who has the power to monitor the implementation of the so-called schemes for welfare of Scheduled Caste? I would like to know whether the Ministry takes the responsibility. Who has taken the responsibility, you please answer directly.

श्री विजय सांपलाः मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उनके मन में जो शंकाएं थीं या पूर्व में उनके जो एक्सपीरिएंस रहे हैं, अब वे उससे निश्चिंत रहें। अब आबंटन भी सही होगा और उसकी निगरानी भी सही तरीके से होगी, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... मैंने पहले भी अपने जवाब में यह बताया है कि इसकी मॉनिटरिंग नोडल मिनिस्ट्री के रूप में हम स्वयं करते हैं। इसके लिए पहले ही बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और जहां तक इसके आबंटन की बात है, अभी ...**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA: But, the Ministry does not have the power. That is what we were told. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): मंत्री जी, अगर आपकी ओर से उत्तर पूरा हो गया हो, तो आगे बढ़ें?

श्री विजय सांपलाः ठीक है, मैडम। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, under the Central Scheme of giving scholarships to the students belonging to the SC/ST sections of our population, a certain allocation had been made State-wise. Is it correct that because of some mid-term changes brought about by the Central Government, this scholarship, scheme which had been going on for so many years, has been stopped, and as a result thereof, the State of Punjab, for example, has not been given this fund for the last two years which amounts to ₹ 1,300

crores, and the students have been enrolled in larger numbers? Is the Central Government re-thinking of giving, at least, last two years' money due to the Government of Punjab for the scholarships to the students of SC/ST community, or, is it going to sit on that money?

श्री विजय सांपला: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस साल हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि post-matric scholarship में किसी भी प्रदेश का, कोई भी पिछला बकाया नहीं रहेगा, 31 मार्च, 2019 तक सारा का सारा clear कर दिया जाएगा। इसके लिए जो जरूरी फंड्स हैं, वे भी जारी कर दिए गए हैं।

महोदया, माननीय सदस्या पंजाब से हैं, उनका सवाल पंजाब से है और मेरा नाता भी सीधा पंजाब से है, इसलिए मैं उसको पूरी तरह से जानता हूं। जहां तक उनकी requirement की बात है, तो जो process पंजाब प्रदेश की तरफ से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं उसकी पूर्ति नहीं की गई, जिसके कारण कहीं न कहीं यह रुकावट भी आई। मैं उनको विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि इसी महीने में पंजाब को हमने 327 करोड़ रुपये जारी किये हैं। उसमें यह भी तय किया गया है कि जब तक next में आप अपना पूरा -- उन्होंने बताया कि हम audit कर रहे हैं, इसलिए उनकी कितनी liability तय होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। मगर पंजाब की तरफ से जब तक पूरा हिसाब बना कर, पूरे दस्तावेज़ नहीं दिए जाते, उसके लिए आगे उनको और पैसा जारी नहीं किया जा सकता। मगर फिर भी मैं यह आश्वस्त करूंगा कि अगर पजाब की तरफ से, माननीय सदस्य उनकी तरफ से documentation पूरा करें, तो केन्द्रीय मंत्रालय ने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि इस बार किसी का भी, कोई भी arrear pending नहीं रहेगा। हम यह आपको आश्वस्त करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय (श्रीमती कहकशां परवीन): ठीक है। Question No. 172.

दिल्ली मेट्रो का तीसरा चरण

***172. श्री अहमद अशफाक करीम** : क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण में कितनी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह कार्य कब शुरू हुआ था और इसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या थी;

(ग) दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का कार्य पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना की लागत में कोई बढ़ोतरी हुई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।